

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)
अपील संख्या:-214/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/214)

1. गीतादेवी पत्नि शंकरलाल
 2. किशनलाल पुत्र लादू धाकड
 3. भंवरलाल पुत्र लादू धाकड
 4. गंगा पत्नि धन्ना धाकड
 5. मनभर देवी पत्नि जगदीश धाकड
 6. सत्यनारायण पुत्र धन्ना धाकड
 7. कैलाश पुत्र मोती धाकड
- समस्त निवासी ग्राम काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. धनराज पुत्र सुसपाल जाति धाकड निवासी ग्राम काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर, विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.06.2023 राजस्व वाद संख्या 6/2021 (2021/23 बउनवानी धनराज बनाम गीतादेवी व अन्य)


उपस्थित:-

1. श्री, शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री, अमित कन्नौजिया, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांक:- 05.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 6/2021(2021/23) बउनवानी धनराज बनाम गीतादेवी


S. R. Sharma

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

में पारित आदेश दिनांक 16.06.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 10 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलांटस एवं राज्य सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटस के नाम नोटिस जारी किए गए जिस पर अपीलांट संख्या 2,3,5,7 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया। खसरा नम्बर 537 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 530,531,535 में से निकटतम रास्ता लिया जाना अनिवार्य है। 251ए की मंशा के अनुरूप सबसे निकटतम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 530, 531, 535 में से दिया जाना अनिवार्य है अन्यथा अपीलांटस की आराजी में से जो रास्ता दिया जाता है वह रास्ता काफी लंबा है एवं अपीलांटस की काफी आराजीयात रास्ते में जाने से खराब होगी ऐसी स्थिति में सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 530, 531, व 535 की मेड से दिया जाना अनिवार्य है। यहा पर यह भी निवेदन करना उचित होगा कि उपरोक्त प्रकरण के अलावा प्रकरण संख्या 84/2022 बउनवानी पांचू बनाम किशनलाल में भी पांचू ने खसरा नम्बर 535 रकबा 2.93 है० किस्म बरानी-1 पर जाने हेतु भी रास्ता खसरा नम्बर 532, 533, 534 में से मांगा गया जो कि अपीलांटस की भूमि है जिस पर तहसीलदार केकडी ने दोनों ही प्रकरण की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 7.2.2023 को मुर्तिब करते हुए प्रस्तुत की जिसमें खसरा नम्बर 530, 531 व 535 में से निकटतम रास्ता दिए जाने बाबत अपनी रिपोर्ट के बिंदु संख्या 6 एवं 8 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया उसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी ने बगैर संबंधित पक्षकारों को मुर्तिब किए बगैर गैर कानूनी रूप से खसरा 530, 531, 535 में से प्रकरण संख्या 84/2022 में रास्ता दिया जाना होना मानते हुए खसरा नम्बर 535 में से रास्ता दिए जाने का आदेश दिनांक 16.6.2023 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 6/2021(2021/23) में पारित आदेश दिनांक 16.06.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष अपीलांटस द्वारा मौका रिपोर्ट के बाबत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी उपरोक्त मोका रिपोर्ट की आपत्ति में स्पष्ट अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 530 व 531 की दक्षिण मेड से होते हुए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं उपरोक्त रास्ते बाबत स्वयं लैण्ड होल्डर द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट दिनांक 17.2.2023 के बिंदु संख्या 6 एवं बिंदु संख्या 8 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि अत्यंत निकटतम एवं सुलभ रास्ता खसरा नम्बर 531, 530 व 535 की दक्षिणी मेड से दिया जाना उचित रहेगा एवं खसरा नम्बर 531, 530, 535 के खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब किया जाकर रास्ता दिया जाना अनिवार्य है। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने गैर कानूनी रूप से हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम करने में गंभीर त्रुटि कारित की है चूंकि नियम 69 के तहत आईएलआर से नीचे के अधिकारी से धारा 251 एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकती है इसके बावजूद भी तहसीलदार केकडी ने हल्का पटवारी से दिनांक 13.2.2023 को रिपोर्ट



5.2.2024
राजस्थान हाईकोर्ट
अजमेर



ली गई एवं कार्यालय में बैठकर ही दिनांक 17.2.2023 को रिपोर्ट मुर्तिब कर दी गई जबकि स्वयं तहसीलदार या भूअगिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट मुर्तिब किया जाना अनिवार्य था इसके बावजूद भी पटवारी हल्का ने रिपोर्ट मुर्तिब कर दी एवं तहसीलदार केकडी ने कार्यालय में बैठकर ही हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट बनाकर उपखण्ड अधिकारी केकडी को प्रेषित कर दी गई जो कि नियम 69 के विपरीत जाकर उपरोक्त मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई है। उपखण्ड अधिकारीने बिना सही तरीके से गणना किए बगैर सिर्फ खसरा नम्बर 535 की गणना करते हुए निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी केकडी ने सरसरी तौर पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए उपरोक्त निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 6/2021(2021/23) में पारित आदेश दिनांक 16.06.2023 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 537 प्रार्थीगण की है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 532 किस्म गै0मु0 रास्ता है जो कि काबरिया से बंदीपुरा आने जाने का आम रास्ता है से प्रारम्भ होकर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 533, 534 की उत्तरी पूर्वी मेड से व खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी मेड से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 537 तक पहुंचता है। उक्त रास्ता कदीमी है तथा इस रास्तो के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को अपनी आराजजी में आने जोने में रूकावट पैदा की जा रही है तथा बार बार कहे जाने पर भी सहमति नहीं बन रही है तथा आने जाने के रास्ते में लोहे की जाली लगाकर कांटे आदि पटक कर वर्तमान में रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है। आवश्यकता आत्यान्तिक है। अतः विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जावे तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसर राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद बिंदु के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2023 का है अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 30.6.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है अतः अपील अंदर मियाद है।
7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रथगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके पर निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद रेस्पोंडेंट अपीलाधीन निर्णय की आड में अपीलांट की खातेदारी भूमि में रास्ता चालू करवाने पर सख्त आमादा है जिसकी वजह से उसे अपूर्णीय क्षति हो सकती है तथा अपने पक्ष में प्रथम

5.2.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखते हुए मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया है। दिनांक 5.7.2023 को बाद एकपक्षीय सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश प्रदान किया गया था।

8. बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट 1 से 10 की ओर से उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष 251ए आरटी एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था खसरा नम्बर 525 गै0 मु0 रास्ता है अपीलांट के खसरा नम्बर 532, 531, 530, 599/536 है, तथा रेस्पोंडेंट को अपने खसरा नम्बर 535 पर पहुंचना है एक अन्य पत्रावली गीता बनाम धनराज के नाम से भी है इन दोनों पत्रावलीयों में एक ही मौका रिपोर्ट सम्मिलित नहीं मंगवाई जा सकती वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 17.2.2023 की रिपोर्ट के बिंदु संख्य 6 व 8 में अंकित है साथ ही उन्होंने खसरा नम्बर 530, 531 से लघुत्तम रास्ता बताया इन खसरा नम्बरों के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया मौके रिपोर्ट पटवारी के द्वारा है जो कि नियम 69 की अवहेलना है क्षतिपूर्ति की राशि की गणना गलत की गई है। मांगे गए रास्ते हेतु डीएलसी दर को काउण्ट नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 532, 533, 534 गै0 मु0 रास्ता दर्ज नहीं होकर खातेदार अपीलांट के हैं मौके रिपोर्ट के विपरीत निर्णय करते हुए हमारे खसरा नम्बर 599/536 को आदेश में शामिल किया गया है। वैकल्पिक रास्ते पर हमारी आपत्ति को निस्तारित नहीं किया गया है।

9. वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में बताया कि हमारा खसरा नम्बर 537 ग्राम काबरिया में है खसरा नम्बर 525 गै0 मु0 रास्ता है खसरा नम्बर 532, 533, 599/536, 531 अपीलांट के हैं अपीलांट द्वारा जवाब दिया गया था। अपीलांट की आपत्ति (दिनांक 30.11.2022) को उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2022 को स्वीकार किया गया था इसी दिन उनके द्वारा मौके पर दिनांक 21.12.2022 को पहुंचने हेतु निर्देश दिए गए थे। मौका रिपोर्ट गिरदावर द्वारा ही तैयार की गई है नई मौका रिपोर्ट बनवाई गई थी। अन्य फाईल पर हमारे द्वारा लिखित सहमति दी गई थी जिसमें हमने अपने खेत से होकर गुजरने बाबत सहमति दी है। नोटिस दिए गए थे वकील रेस्पोंडेंट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया गया आरआरटी 2022(1) हाई कोर्ट पेज 196, आरआरटी 2022 पेज 556, आरआरटी 2018 सपप0 पेज 511. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955-धारा 251ए एसडीओ ने 8 1/4 फीट चौड़ा मार्ग डीएलसी दर का दो गुणा भुगतान करने की शर्त पर स्वीकृत किया अपील खारिज हुई भू0अ0नि द्वारा मौके पर रिपोर्ट तैयार की गई-सुविधा जनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है-भू0अ0नि मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु सक्षम है-निर्णीत, आदेश में विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। आरआरटी 2022(1) पेज 557 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 251ए अपीलांट की भूमि से रेस्पोंडेंट को उसकी कृषि भूमि पर जाने के लिए एसडीओ ने रास्ता स्वीकार किया राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया राजस्व मण्डल ने आदेश उलटा किया एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज की एसडीओ तथा राजस्व मण्डल एवं एकल न्यायाधीश के तथ्यों के निष्कर्ष अपीलांट द्वारा बताया गया रास्ता उपयोग में आना नहीं पाया और रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पास उसकी



भूमि पर पहुंचने का वास्तविक मार्ग नहीं है—रेस्पोंडेंटस संख्या 1 को रास्ता प्रदान करते हुए रेस्पोंडेंट के पक्का ढांचे से छेड़छाड़ अथवा क्षति न की जावे। आरआरटी 2022(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251ए रेस्पोंडेंट संख्या 4 ने उसकी आराजी खसरा नम्बर 361/294 पर जाने हेतु याची/अनावेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 244 के पश्चिमी सीमा की ओर रास्ते का दावा किया क्योंकि रेस्पोंडेंट के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है—एसडीओं ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और राजस्व रेकार्ड में इंड्राज करने का तहसीलदार को निर्देश दिया—राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया तथा राजस्व मण्डल ने निगरानी स्वीकार की व आदेश अपास्त किया प्रश्नगत रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता है—वैकल्पिक रास्ता होना साबित नहीं किया—निर्णीत, किसी हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, में यदि वादपत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्ट यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता तो जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।

10. रिबूटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया है कि दिनांक 21.12.2022 की रिपोर्ट में हमारे द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग बाबत कोई निस्तारण नहीं किया गया। अतिरिक्त पक्षकार संयोजित करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया। (मौका रिपोर्ट का बिंदु नम्बर 7) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया नियम 69 की पालना नहीं की गई है।
11. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया अपीलाधीन आदेश का ऑपरेटिव अंश निम्नानुसार है— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जवाब सरकार अन्य संबंधित प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू बनाम किशनलाल वगैरह के प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 535 में से रास्ता दिए जाने हेतु प्रस्तुत लिखित सहमति का अवलोकन किया एवं पक्षकारान की बहस पर मनन किया प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 532,533,534, 599/536 में से रास्ता चाहा गया है तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू वगैरह बनाम किशनलाल वगैरह के अनुसार खसरा नम्बर 532,533,534 से होते हुए खसरा नम्बर 599/536 तक कदीमी रास्ता है जो चालू है इसमें से आवगमन हेतु खातेदारों द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है। प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू बनाम किशनलाल वगैरह में खसरा नम्बर 599/536 से होते हुए खसरा नम्बर 537 तक रास्ता दिया है जो कि खसरा नम्बर 537 के लगवा है। अतः खसरा नम्बर 762/537 में पहुंच हेतु खसरा नम्बर 535 में से तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तावित अनुसार 120 लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा कुल 720 वर्गमीटर हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 720 वर्गमीटर हेतु वर्तमान डीएलसी दर 215177 प्रतिहे० के दोगुने से प्रतिकर राशि 30986 रूपए बनते है अतः उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में केवल खसरा नम्बर 535 में लाल स्याही में प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै०मु० रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर खसरा नम्बर 535



- के खातेदारान को जरिए सूचना पत्र जारी कर दिलवाए राशि नहीं दिए जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोश में जमा करवा कर आदेशानुसार सिवायचक गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।
12. मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.10.2022 को गिरदावर बघेरा द्वारा महेन्द्रसिंह राठौड द्वारा तैयार करवाई गई है।
13. तहसीलदार द्वारा दिनांक 2.11.2022 को आईएलआर वगैरह से रिपोर्ट प्राप्त कर निम्नानुसार रिपोर्ट बनवाई गई है उक्त रिपोर्ट के बिंदु संख्या 1 में निम्नानुसार अंकन है- खसरा नम्बर 537 ग्राम काबरिया प्रार्थी की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि है। रिपोर्ट के बिंदु नम्बर 3 के अनुसार ग्राम काबरिया व नारेडा की सीमा पर सडक का कदीमी रास्ता है। बिंदु नम्बर 4 में निम्नानुसार अंकन है खसरा संख्या 760/534 की पूर्वी दक्षिणी मेड खसरा संख्या 599/536 की पश्चिमी मेड व खसरा संख्या 535 की पूर्वी मेड से संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया अनुसार आवागमन सुविधाजनक रहेगा।
14. वकील रेस्पोंडेंट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया गया आरआरटी 2022(1) हाई कोर्ट पेज 196, आरआरटी 2022 पेज 556, आरआरटी 2018 सपप0 पेज 511. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955-धारा 251ए एसडीओ ने 8 1/4 फीट चौड़ा मार्ग डीएलसी दर का दो गुणा भुगतान करने की शर्त पर स्वीकृत किया अपील खारिज हुई भू0अ0नि द्वारा मौके पर रिपोर्ट तैयार की गई-सुविधा जनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है-भू0अ0नि मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु सक्षम है-निर्णीत, आदेश में विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। आरआरटी 2022(1) पेज 557 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 251ए अपीलांट की भूमि से रेस्पोंडेंट को उसकी कृषि भूमि पर जाने के लिए एसडीओ ने रास्ता स्वीकार किया राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया राजस्व मण्डल ने आदेश उलटा किया एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज की एसडीओ तथा राजस्व मण्डल एवं एकल न्यायाधीश के तथ्यों के निष्कर्ष अपीलांट द्वारा बताया गया रास्ता उपयोग में आना नहीं पाया और रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पास उसकी भूमि पर पहुंचने का वास्तविक मार्ग नहीं है-रेस्पोंडेंटस संख्या 1 को रास्ता प्रदान करते हुए रेस्पोंडेंट के पक्का ढांचे से छेडछाड अथवा क्षति न की जावे। आरआरटी 2022(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251ए रेस्पोंडेंट संख्या 4 ने उसकी आराजी खसरा नम्बर 361/294 पर जाने हेतु याची/अनावेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 244 के पश्चिमी सीमा की ओर रास्ते का दावा किया क्योंकि रेस्पोंडेंट के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है-एसडीओ ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने का तहसीलदार को निर्देश दिया-राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया तथा राजस्व मण्डल ने निगरानी स्वीकार की व आदेश अपास्त किया प्रश्नगत रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता है-वैकल्पिक रास्ता होना साबित नहीं किया-निर्णीत, किसी हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, में यदि वादपत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्ट यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता तो जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्त को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।

S. 2. 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

15. दिनांक 21.12.2022 को मौका रिपोर्ट गिरदावर व पटवारी द्वारा तैयार की गई थी जिसमें वैकल्पिक / निकटतम मार्ग बाबत बताया गया है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज मार्ग खसरा नम्बर 525 गै0मु0 रास्ते से 530 व 531 की दक्षिणी मेड व 535 की दक्षिणी मेड से होते हुए भी वैकल्पिक निकटतम मार्ग पडता है।
16. उपरोक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि निकटतम पहुंच का मार्ग बाबत आदेश न दिया जाकर लंबे मार्ग बाबत आदेश दिया गया है जो उचित नहीं है। दिनांक 16.12.2022 को अप्रार्थी के आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2022 को तहसीलदार को स्वयं मौके पर उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.2.2023 को पुनः नई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके बिंदु संख्या 6 के अनुसार खसरा नम्बर 525 में गै0मु0 रास्ता से खसरा संख्या 531, 530 व 535 की दक्षिण मेड से भी आवागमन सुविधाजनक रहेगा। उक्त रिपोर्ट के बिंदु नम्बर 7 में यह अंकित है खसरा नम्बर 530, 531 के खातेदार को सुना जाना/संयोजित किया जाना उचित होगा।
17. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दी गई द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 17.2.2023 में सुझाए गए बिंदुओं के विपरीत जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया है जो उचित नहीं है। क्यों कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित रहे थे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए था। न्यायालय का यह मानना है कि निकटतम रास्ता दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया है। वकील रैस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 17.2.2023 में वैकल्पिक रास्ता सुझाया गया है जो निकटतम भी है, अतः इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि अपील द्वारा अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।
18. अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 6/2021(2021/23) बउनवानी धनराज बनाम गीतादेवी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.06.2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार द्वारा दी गई दूसरी रिपोर्ट दिनांक 17.2.2023 के संदर्भ में आवश्यक पक्षकारों का संयोजन करते हुए नए सिरे से कार्यवाही कर नियम 69 व 70 की पालना करते हुए, गुणावगुण पर उभयपक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



5.2.2024
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

5.2.2024
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर